भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1532
उत्तर देने की तारीख: 12.12.2023

अटल वयो अभ्युदय योजना

1532. श्री के. सुधाकरन :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2020 से अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) इस कार्यक्रम के लिए राज्य-वार कुल कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई है;
(ग) निर्मित किए गए नए वरिष्ठ नागरिक गृहों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है; और
(घ) उन जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम इस समय कार्यशील नहीं हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क) से (घ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीएवाई) के घटक एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, पोषण, चिकित्सा देखभाल तथा मनोरंजन जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करने के लिए वरिष्ठ नागरिक गृहों (वृद्धाश्रमों), सतत देखभाल गृहों आदि के संचालन तथा रख-रखाव के लिए गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। आईपीएसआरसी के अंतर्गत नए वरिष्ठ नागरिक गृहों के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है। वर्ष 2020-21 से आईपीएसआरसी के अंतर्गत गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों को जारी अनुदान सहायता तथा उनके लाभार्थियों से संबंधित राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

आईपीएसआरसी के अंतर्गत नए वरिष्ठ नागरिक गृहों के निर्माण के लिए अनुदान सहायता प्रदान नहीं की जाती है। संबंधित राज्य/संघ राज्य से संबंधित जिले को अंतराल जिले के रूप में शामिल करने तथा तत्पश्चात राज्य/संघ राज्य से सिफारिश के अनुरोध के आधार पर आईपीएसआरसी के अंतर्गत अनुदान सहायता के लिए गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित नए गृहों को शामिल किया जाता है। वर्ष 2020-21 से शामिल किए गए नए वरिष्ठ नागरिक गृहों का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

वर्तमान में एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम की स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए जिलों का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

अनुबंध-I

'अटल वयो अभ्युदय योजना' विषयक लोक सभा में दिनांक 12.12.2023 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1532 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2020-21 से आईपीएसआरसी के अंतर्गत गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों को जारी अनुदान सहायता (जीआईए) तथा उनके लाभार्थियों से संबंधित राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा

		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24 (06.12.2023 तक)	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	जारी जीआईए	लाभार्थी	जारी जीआईए	लाभार्थी	जारी जीआईए	लाभार्थी	जारी जीआईए	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	1548.91	16,275	1259.01	21,050	1058.69	25,850	433.49	11,250
2	बिहार	28.35	50	0.00	-	0.00	-	18.00	250
3	छतीसगढ	72.28	150	46.37	225	27.36	50	59.40	125
4	गोवा	18.90	50	0.00	-	0.00	-	-	-
5	गुजरात	150.19	1,500	86.99	250	53.57	175	30.54	225
6	हरियाणा	382.77	1,175	241.81	1,050	169.86	925	70.51	825
7	हिमाचल प्रदेश	27.09	4,850	18.07	25	11.58	25	8.61	25
8	झारखंड	29.06	75	42.75	100	48.86	150	38.23	150
9	कर्नाटक	1035.45	6,370	790.55	1,420	641.99	920	176.67	1,020
10	केरल	59.94	100	33.78	100	8.75	50	17.58	100
11	मध्य प्रदेश	266.22	475	175.45	450	152.62	375	91.89	350
12	महाराष्ट्र	1301.12	6,895	585.86	5,915	527.39	5,835	265.13	5,910
13	ओडिशा	1769.61	12,895	1484.26	12,470	1090.01	7,350	416.06	7,000
14	पंजाब	50.81	675	6.21	600	4.83	600	-	-
15	राजस्थान	256.86	550	296.24	750	121.95	375	119.70	450
16	तमिलनाडु	1358.98	21,320	1428.56	31,895	1089.23	16,795	449.17	16,745
17	तेलंगाना	410.50	5,450	302.58	10,050	166.71	350	175.31	10,050
18	उत्तर प्रदेश	549.94	965	754.51	1,595	623.66	1,295	240.37	1,220
19	उत्तराखंड	45.92	75	16.08	25	23.41	50	7.80	50
20	पश्चिम बंगाल	653.74	15,300	338.50	15,150	332.80	10,100	234.83	5,575
21	एक प्रायद्वीप	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-
22	चंडीगढ़	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-
23	दादरा नगर हवेली और	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-

		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24 (06.12.2023 तक)	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	जारी जीआईए	लाभार्थी	जारी जीआईए	लाभार्थी	जारी जीआईए	लाभार्थी	जारी जीआईए	लाभार्थी
	दमन और दीव								
24	लक्षद्वीप	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-
25	दिल्ली	86.42	125	36.15	25	47.25	125	22.84	100
26	पांडिचेरी	2.20	25	41.16	125	33.96	100	30.33	100
27	अरुणाचल प्रदेश	59.09	125	15.58	50	0.00	-	-	-
28	असम	948.62	29,995	696.15	25,365	609.32	15,475	221.09	15,170
29	जम्मू और कश्मीर	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-
30	लद्दाख	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-
31	मणिपुर	1052.11	10,750	518.60	10,450	349.37	700	210.08	775
32	मेघालय	29.05	100	93.96	200	0.00	-	-	-
33	मिजोरम	19.17	25	0.00	-	0.00	-	-	-
34	नागालैंड	13.90	50	10.72	50	20.77	50	14.12	150
35	सिक्किम	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-
36	त्रिपुरा	31.07	50	0.00	-	17.44	25	-	-
	सकल योग	**12258.27**	**1,36,440**	**9319.90**	**1,39,385**	**7231.38**	**87,745**	**3,351.75**	**77,615**

अनुबंध-II

'अटल वयो अभ्युदय योजना' विषयक लोक सभा में दिनांक 12.12.2023 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1532 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2020-21 से आईपीएसआरसी के अंतर्गत शामिल नए वरिष्ठ नागरिक गृहों का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य	2020-21	2021-22	2022-23
	शामिल नए गृह		
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
आंध्र प्रदेश	2	0	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
असम	10	0	0
बिहार	11	7	1
चंडीगढ़	0	0	0
छत्तीसगढ	9	0	0
दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव	1	0	0
गोवा	2	0	0
गुजरात	10	0	2
हरियाणा	3	0	0
हिमाचल प्रदेश	3	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	13
झारखंड	4	1	0
कर्नाटक	6	2	0
केरल	2	2	0
लक्षद्वीप	0	0	0
मध्य प्रदेश	15	6	15
महाराष्ट्र	2	9	0
मणिपुर	1	7	0
मेघालय	2	0	0
मिजोरम	2	2	0
नागालैंड	4	2	1
संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	3	0	0
ओडिशा	0	0	0
पुदुचेरी	0	0	0
पंजाब	2	0	0
राजस्थान	18	11	0
सिक्किम	0	0	0
तमिलनाडु	0	0	0
तेलंगाना	6	0	0
त्रिपुरा	0	0	0
उत्तर प्रदेश	38	6	0
उत्तराखंड	2	0	0
पश्चिम बंगाल	8	2	0
कुल	**166**	**57**	**32**

अनुबंध-III

'अटल वयो अभ्युदय योजना' विषयक लोक सभा में दिनांक 12.12.2023 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1532 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आईपीएसआरसी के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए जिलों की राज्य/संघ राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य	आईपीएसआरसी के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए जिलों की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3
आंध्र प्रदेश	15
अरुणाचल प्रदेश	23
असम	8
बिहार	30
चंडीगढ़	1
छत्तीसगढ	30
दिल्ली	7
गुजरात	23
हरियाणा	10
हिमाचल प्रदेश	10
जम्मू और कश्मीर	9
झारखंड	20
कर्नाटक	5
केरल	10
लद्दाख	2
लक्षद्वीप	1
मध्य प्रदेश	32
महाराष्ट्र	12
मणिपुर	1
मेघालय	10
मिजोरम	7
नागालैंड	11
ओडिशा	1
पुदुचेरी	2
पंजाब	21
राजस्थान	28
सिक्किम	6
तमिलनाडु	6
तेलंगाना	21
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3
त्रिपुरा	7
उत्तर प्रदेश	40
उत्तराखंड	11
पश्चिम बंगाल	6
सकल योग	**432**

*****